संघर्ष के लिए निर्माण
निर्माण के लिए संघर्ष

भिलाई कार्यालय : MIG/1/55
आमदी नगर, भिलाई (दुर्ग) 490001
फोन : (0788) 322688

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

द्वारा, सी.एम.एस.एस. आफिस
दल्ली-राजहरा 491228
जिला- दुर्ग (म.प्र.)

पत्रक्रमांक.....

दिनांक.....

प्रति

एडवोकेट आर.के. गुप्ता जी
अध्यक्ष,
म.प्र. बार एसोसियेशन
जबलपुर (म.प्र.)

मान्यवर,

पिछले वर्ष नियोगी जी हत्याकांड की बहस के दौरान छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की ओर से पैरवी कर रहे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जस्टिस एस.एम. दाऊद (भू.पू. जस्टिस, बंबई हाईकोर्ट) के साथ मैं जबलपुर आया था। तब भोथीपार मेज प्रोडक्ट्स के दो मज़दूर साथियों के कानूनी कार्य के सिलसिले में एक दिन मैं आपके निवास पर आपसे मिला था। मौका पाकर मैंने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग माननीय न्यायाधीश टी.के. झा के फैसले की पुस्तक आपको भेंट की थी।

दो-चार दिन बाद जस्टिस दाऊद साहब द्वारा कुछ पुस्तकें मंगवाने पर मैं जब 12 सितंबर 1997 को हिंद लॉ एजेंसी में Criminal Major Acts खरीदा तो वही दुकानदार बंधु से चर्चा निकल पड़ी। जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि हम छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से है और नियोगी जी वाले केस में आए हैं, तो वे स्वयं कहने लगे - *"आप लोगों की लड़ाई बहुत जायज है। यहां के एक वकील आर.के. गुप्ता जी से मिलने किसी काम से गया था तो उन्होंने मुझे नियोगी जी के केस में न्यायाधीश टी.के. झा के फैसले की पुस्तक दिखाई और कहने लगे इसको आप छापना चाहिए।"* और यह भी कि - "छत्तीसगढ़ के मज़दूर तो बहुत लड़ रहे हैं वरना ऐसे अरबपतियों के खिलाफ कौन लड़ पाता है?" और यह मात्र आपकी और हिंद लॉ एजेंसी के उन दुकानदार बंधु की ही बात नहीं है। पूरे जबलपुर में जिस किसी से भी चर्चा हुई सबके मुंह से एक ही बात निकली ऐसे बदमाशों को तो सजा होनी ही चाहिए, वरना शरीफ लोगों का तो जीना दूभर हो जायेगा।। उन्हीं दिनों हमें यह जानकारी भी मिली कि जिस प्रकार भिलाई की जनता मूलचंद शाह, नवीनशाह, चंद्रकांत शाह की गुंडागर्दी से त्रस्त है, उसी प्रकार जबलपुर में शाह बंधुओं के रिश्तेदारों का रिकार्ड भी गुंडई का है एवं यहां का सभ्य समाज भी ऐसे तत्वों से परेशान है। धनपति-अपराधी- राजनेता गठजोड़ के बारे में केन्द्र सरकार में पूर्व गृह सचिव एस.एन. वोहरा की रिपोर्ट 1 अगस्त 1995 को संसद में पेश की गई थी। उसका एक अंश प्रस्तुत है -

"6.2 (2) हवाला कारोबार, कालेधन का प्रसार एवं कई प्रकार की समानान्तर आर्थिक गतिविधि चलाकिर ऐसे तस्कर गिरोह हमारे देश के आर्थिक ढांचे को गंभीर चोट पहुंचा रहे हैं, जिनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। इन गिरोहों ने धनबल, बाहुबल और सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित कर ली है तथा हस स्तर पर सरकारी मशीनरी को भ्रष्ट करने में सफल हो चुके हैं और इनका प्रभाव इतना अधिक है कि जांच और अभियोजन एजेंसियों का कार्य बहुत मुश्किल हो गया है, इस माफिया के कुप्रभाव में न्यायपालिका के सदस्य भी आ चुके हैं।"

यूं तो उपरोक्त अंश कई पहलुओं के मद्देनज़र भारी महत्व का है। पर चूंकि सबकी चर्चा करना यहां संभव नहीं होगी इसलिए मैं दो पहलुओं को उठाना चाहता हूं।

(1) माफिया को सामाजिक प्रतिष्ठा

(2) न्याय पालिका के कई सदस्यों का भी इस माफिया के चंगुल में होना

गौर कीजिए, मान्यवर ! ये मैं नहीं, केन्द्र सरकार के गृह सचिव की वह ऐतिहासिक रिपोर्ट कह रही है जिसे सरकार ने 1 अगस्त 1995 को संसद में प्रस्तुत किया था एवं जिस पर संसद में 5-5 दिन तक हंगामा हुआ था।

और इस पर यदि 'संसद' का पक्ष- विपक्ष "चोर-चोर मौसेरे भाई" की तर्ज पर गुप्त सहमति भरा मौन धारण कर ले तब जागरुक नागरिक के बतौर हम आप क्या करें! चुप रह नहीं सकते क्योंकि हमारे महापुरुषों ने सिखाया है कि अन्याय सहना भी बहुत बड़ा अपराध है। हम - आप, काफी हाऊस में बैठकर सभ्य समाज में अपराधीकरण की इस गंभीर समस्या पर आलोचना/चिंता का प्रस्तुतीकरण कर जिम्मेदारी की इतिश्री का उपक्रम अवश्य कर सकते हैं। बिल्ली को देखकर कबूतर भी तो आंखे बंद कर सोने का उपक्रम करते हैं। हिटलर द्वारा मानवीय जन संहार अर्थात् फासीवाद के खिलाफ मानवीय चेतना झकझोरने वाली मार्टिन निमोलर की यह विश्व प्रसिद्ध अमर कृति भी तो कहती है-

"जर्मनी में, नाजी पहले कम्यूनिस्टों के लिए आए
और मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था

फिर वे यहूदियों के लिए आए, और मैं कुछ नहीं बोला,
क्योंकि मैं यहूदी नहीं था।
फिर वे ट्रेड-यूनियन वालों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बोला
क्योंकि मैं ट्रेड-यूनियन वाला नहीं था।
फिर वे कैथोलिकों के लिए आए और मैं प्रोटेस्टेंट था
इसलिए मैं कुछ नहीं बोला।
उसके बाद वे मेरे लिए आए और उस समय तक
मेरे लिए बोलने वाला कोई बचा ही न था''

8 सितंबर 1998 को भिलाई में इन माफिया अपराधियों ने सभ्य समाज पर एक और बर्बर हमला किया।

"दोपहर2.00 - 2.30 बजे के बीच .... 14-15 गुंडे दैनिक भास्कर के भिलाई कार्यालय में घुसे। यहां मौजूद पत्रकारों पर जानलेवा हमला बोल दिया। ज्ञान प्रकाश मिश्रा और प्रभुनाथ मिश्रा कुर्सियों पर बैठ गये .... पैरों को मेज पर फैला कर ... अवधेश राय और बलदेव सिंह की धमकियां गूंजने लगीं - - हमने करोड़ों रुपये लेकर नियोगी को मारकर छूट गये, तुम किस खेत की मूली हो? ... जो हमारे खिलाफ लिखेगा, उसी को पीटेंगे ... ला तो रे कट्टा ... एक लड़का कट्टा निकालकर लाता है और कहता है - ये लो बॉस कट्टा आ गया .. उड़ा दूं? दैनिक भास्कर के सह- संपादक गिरीश मुक्तिबोध और हसीब खान को रॉड-डंडों से भारी चोटें आई ... गिरीश मुक्तिबोध देश भर के परम सम्मानीय कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी के सुपुत्र हैं।"

मान्यवर ! इस घटना को वोहरा कमेटी के दो उल्लेखित पहलुओं, [(1) माफिया को सामाजिक प्रतिष्ठा और (2) न्यायपालिका के कई सदस्य भी माफिया के चंगुल में] के परिपेक्ष्य में सोचिए और बताईये - -मानव के चेहरे में छिपे इन हिंसक जीवों को सामाजिक वैधता और प्रतिष्ठा देने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? दिल पर हाथ रखकर बतायें कि भिलाई के नव धनाढ्य उद्योगपतियों की निजी सेनाओं के इन गुंडों का हौसला बढ़ाने में जाने-अनजाने, चाहे-अनचाहे, कहीं आपकी भी कुछ जिम्मेदारी तो नहीं?

जिस समय देश भर के जागरुक नागरिक सभ्य-समाज के लिए घातक 'अपराधी-नेता-नव-धनाढ्य' नेक्सस के खिलाफ, जन-जागरण का अभियान छेड़े हुए हैं, उस समय म.प्र. बार एसोसियेशन द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के हमदर्द साथी राजेन्द्र सायल के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा ठोंककर अपने संघर्षशील, न्यायशील तेवर प्रदर्शित कर रहे हैं! सभ्य समाज पर खूंखार हमला करने वाले दरिंदों को सामाजिक वैधता प्रदान कर रहे हैं! इस अवमानना मुकदमे में जो ताकत, सक्रियता लगा रहे हैं, यदि उसका एक अंश भी माफिया - तत्वों के खिलाफ देशभर की जागरुक नागरिकों के अभियान में लगा देते मान्यवर तो शायद आपकी आत्मा को भी सत्कर्म की सुखद अनुभूति हुई होती! हम मज़दूरों के लिए न सही आपकी अपनी न्यायपालिका के उस सम्मानीय सदस्य न्यायाधीश टी.के. झा के खिलाफ फर्जी शिकायत की एक जनहित याचिका लगा देते? लेकिन आपका मुकदमा किसके खिलाफ! छमुमो के हमदर्द साथी राजेन्द्र सायल के खिलाफ! उस छमुमो के खिलाफ जिसके सिपाही, आधा पेट खाकर, कुख्यात अरबपतियों की निजी सेनाओं के जानलेवा हमलों को निहत्थे, खुली छाती पर झेलते हुए, 8 वर्षों से न्याय के आग्रह में डटे हुए हैं! जिन्होंने अपने प्रियतम साथी नियोगी जी की हत्या के साथ-साथ अपने लाखों धड़कते दिलों में न्याय की उम्मीद की हत्या को भी ऐतिहासिक परिपक्वता से झेला है! उस छमुमो के खिलाफ, म.प्र. बार एसोसियेशन ने अवमानना का मुकदमा ठोंका है?

"वो अगर जान भी ले ले तो वाजिब ठहरे
हमने उफ्फ भी जो कर दी तो गुनहगार हुए!"

बेशक नियोगी जी के हत्यारे दरिंदों को बरी करने पर छमुमो एवं उसके हमदर्दों ने तीखी एवं व्यापक प्रतिक्रिया जाहिर की। मशाल जुलूस निकाले, भ्रष्ट न्यायाधीशों के पुतले जलाये, बच्चों ने, हज़ारों की संख्या में बच्चों ने जुलूस निकाल कर हत्यारों को बरी करने के फैसले की प्रतियां जलाई, बस्ती-बस्ती से हज़ारों नागरिकों ने छमुमो कार्यालय में पत्र प्रेषित कर हत्यारों को फांसी की मांग कर रहे हैं, न्यायाधीशों की संपत्ति की जांच की मांग किया है ... वह प्रतिक्रिया बसों को फूंकने, दुकानों को लूटने के विध्वंसक रुप में नहीं की गई। सर्वविदित है, लाखों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किये लेकिन कहीं कोई एक ट्यूब लाईट नहीं फूटी। मध्यप्रदेश के जन संगठनों से हज़ारों लोगों ने 26 जुलाई को जबलपुर ने प्रदर्शन कर फैसले को न्याय की हत्या करने वाला घोषित किया। जबलपुर के ही एक दर्जन संगठन और सैकड़ों नागरिकों ने उस प्रदर्शन में भाग लिया। छमुमो के हमदर्द साथियों ने भोपाल, दिल्ली, बंबई, लखनऊ, देवरिया, बनारस, बैंगलोर, मदुरै - देश के कोने-कोने में जागरुक नागरिकों ने एकजुट होकर, फैसले को धिक्कारा ..... हमने परिपक्व प्रतिक्रिया की है। गलत और अन्याय को प्रतिष्ठित करने वाले फैसले को लेकर सभ्य समाज के लिए एक बड़े खतरे - "अपराधी - राजनेता- नवःधनाढ्य' नेक्सस के खिलाफ जन-जागरण का वैचारिक अभियान छेड़ा है। छत्तीसगढ़ के जनकवि फागूराम यादव के गीत के दर्ज पर - 'नदिया कस पूरा हमन आगू बढ़त जाबो' ।

मैं जानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि मध्यप्रदेश बार एसोसियेशन जबलपुर के अधिकाश साथी नहीं चाहते कि एसोसियेशन छमुमो या उसके हमदर्दों के खिलाफ मुकदमा चलाये। हम यह भी जानते हैं कि मध्यप्रदेश बार एसोसियेशन के अनेक ऐसे साथी है, जिनका दिल अरबपतियों के 'कानून के ऊपर दर्जा' का विरोध करता है। हां, जबलपुर के दो-चार कुछ बड़े-बड़े ऐसे वकील अवश्य हैं, जिन्होंने उद्योगपतियों के इन केसों में करोड़ों-करोड़ रुपये बनाये हैं। उनके लिए तो यह जरुरी है कि छमुमो के खिलाफ मुकदमाबाजी चलती रहे ताकि उनका मीटर भी चलता रहे और उद्योगपतियों से पैसा मिलता रहे।

यक्ष-प्रश्न यह है कि हज़ारों लाखों लोगों ने इस फैसले के बाद सार्वजनिक रुप से न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये - उनमें से एक व्यक्ति श्री राजेन्द्र सायल को चुनकर ही अवमानना का आरोप क्यों लगाया गया?

मान्यवर आर.के. गुप्ता जी, हम आपकी जानकारी में लाना चाहती है कि नियोगीजी हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण अभियोजन गवाह है।

उनके द्वारा दी गई गवाही पर उद्योगपति मूलचंद शाह, नवीन शाह और चंद्रकांत शाह को आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो सकती है। इसलिए ये उद्योगपति और उनसे करोड़ों रुपया फीस हासिल करने वाले वकील राजेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह आदि किसी भी तरह से एक्स्ट्रा जुडीशियल तरीकों से भी, नियोगी जी हत्याकांड के महत्वपूर्ण अभियोजन गवाह श्री राजेन्द्र सायल के बयान को अविश्वसनीय बनाना चाहते हैं। अपनी हत्या के कुछ घंटे पूर्व ही नियोगीजी ने श्री राजेन्द्र सायल को मूलचंद शाह, चंद्रकांत शाह आदि के अपराधिक इरादों का खुलासा किया था एवं प्रोसेक्यूशन सी बी आई ने उसे मृत्यु पूर्व बयान (dying declaration) के रुप प्रस्तुत किया है।

इससे स्पष्ट है कि हत्यारों को बरी करने के मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर के फैसले पर छी.छी. थू.थू. करने वाले हज़ारों लाखों लोगों में से एक मात्र राजेन्द्र सायल को मात्र इसलिए मिशाल बनाया गया है कि येन-केन-प्रकारेण, इनकी गवाही को अविश्वसनीय दिखाया जा सके। उद्योगपतियों ने अपने पुराने नये दलालों जार्ज कुरियन और भीमराव बागड़े के माध्यम से ठीक हाईकोर्ट फैसले की तारीख 27 जून 98 के हितवाद अखबार में छपवाया कि PUCL Workers Hatched Neogi's Murder Plot, Alleges Baghade.

1 जुलाई को भिलाई में शहीद-दिवस कार्यक्रम में नियोगीजी के हत्यारों को बरी करने पर सभी ने छी.छी.थू.थू. किया। उसके पश्चात् 3 दिन बाद सुनियोजित तरीके से हत्यारे उद्योगपतियों ने दलाल जार्ज कुरियन के माध्यम से 4 जुलाई 98 (?) के हितवाद में मात्र अभियोजन गवाह श्री राजेन्द्र सायल द्वारा न्यायपालिका की आलोचना का लेख छपाया। उसी दिन मूलचंद शाह ने उस लेख को जबलपुर फैक्स किया। उसकी एक प्रति आप (एड. आर.के. गुप्ता, अध्यक्ष, म.प्र. बार एसोसियेसन, जबलपुर) तक पहुंचाई गई। नियोगीजी हत्याकांड में उद्योगपतियों के वकील सरदार राजेन्दर सिंह, सुरेन्दर सिंह, ... सांघी आदि ने बार एसोसियेशन पर दबाव बनाकर अभियोजन गवाह श्री राजेन्द्र सायल पर अवमानना का मुकदमा दायर करवाया। अवमानना मुकदमे के दौरान नियोगीजी हत्याकांड में बचाव पक्ष के वकीलों, सुरेन्दर सिंह, सतीश चंद्र दत्त, ... सांघी आदि की 'अति' सक्रियता देखते ही बनती है!

स्पष्टतया एडवोकेट राजेन्द्र सिंह सुरेन्द्र सिंह, ... सांघी आदि ऐसे एक्स्ट्रा ज्यूडीशियल तरीकों द्वारा अपने अरबपति हत्यारे मुवक्किलों को बचाने के प्रयास में लगे हैं।

उनके द्वारा इस प्रकार के एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल तरीकों से न्यायाधीशों को प्रभावित करने का असर हमने जबलपुर में देखा जब दिनांक 5-2-98 (?) को अभियोजन गवाह श्री राजेन्द्र सायल के बयान के संदर्भ में माननीय न्यायाधीश श्री एस.के. दुबे पी.यू.सी.एल. को पी.डब्ल्यू.जी. से कन्फ्यूज कर बैठे एवं सी बी आई के वकील कत्राबिरन जी को विस्तार में समझाना पड़ा कि पी.यू.सी.एल. की स्थापना लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने की थी। पी.यू.सी.एल. के पहले अध्यक्ष बंबई हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी.एम. तारकुंडे थे, दूसरे अध्यक्ष पूर्व योजना आयोग सदस्य श्री रजनी कोठारी थे। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य-न्यायाधीश जस्टिस राजेन्दर सच्चर, पी.यू.सी.एल. के तीसरे अध्यक्ष थे एवं उसके चौथे और वर्तमान अध्यक्ष वे स्वयं (कत्राबिरन) हैं।

जबकि पी.डब्ल्यू.जी., सी.पी.आई. (एम.एल.) के एक विशेष गुट का नाम है जो मुख्य रुप से आंध्रप्रदेश में संगठित है। हथियारबंद क्रांति में विश्वास करती है, जिन्हें सामान्य भाषा में नक्सलाईट कहा जाता है।

गौर कीजिए मान्यवर ! मनचाही अटकलों और निठल्ली शंकाओं को पैदा कर अभियोजन गवाह के समक्ष नियोगीजी के मृत्युपूर्व बयान (dying declaration) के परिपेक्ष्य में संदेह का लाभ चाहते हैं- 'ऐसे कमज़ोर मन का संदेह जो, अनचाहे ही सही, संदेह का लाभ नहीं होने की तार्किक परिणति से घबराता हों, जिससे मनचाही अटकलों व निराधार शंकाओं को स्थान मिलने से "न्याय यदि पूरी तरह से नष्ट नहीं भी हुआ तो भी रास्ते से अवश्य भटक जायेगा।"

नियोगीजी के हत्यारों को बरी करने का हाईकोर्ट का फैसला पूरी तरह से ऐसी ही तमाम "मनचाही अटकलों और निराधार शंकाओं" पर टिका है। सच तो यह है कि "आरोपी के पक्ष में संदेह की केवल क्षीण सी संभावना होने के तथ्य मात्र से ही सिद्ध हो जाता है कि आरोपी के खिलाफ अपराध तर्क संगत शंका के परे सिद्ध है"

(देखिये - AIR 1972 SC 975, H.P. Administration Vs Om Prakash जो कि अनेक्सर-३ में विस्तार में उल्लेखित है)

सबसे दुःखद बात तो यह है कि एड. राजेन्दर सिंह ने व्यवसायिक नैतिकता (professional ethics) को बला-ए-ताक पर रख ऐसी निठल्ली शंकाओं को पैदा करने, evidence on record के बाहर जा कर एक्स्ट्रा ज्यूडीशियल तरीकों को अपना रहे हैं। हज़ारों-लाखों लोगों में से महत्वपूर्ण अभियोजन गवाह श्री राजेन्द्र सायल को ही अवमानना मुकदमे का निशाना बनाना इसी सुनियोजित सोच के तहत किया जा रहा है। सोचिये! हत्यारे उद्योगपति मूलचंद शाह की सिम्पलेक्स कंपनी के ला-आफिसर एड. वर्मा जो कि ट्रायल-कोर्ट और हाईकोर्ट में सुनवाई के हर दिन एड. राजेन्दर सिंह के साथ रहा था, वह अभियोजन गवाह श्री राजेन्द्र सायल के खिलाफ अवमानना मुकदमे की हर पेशी तारीख पर भिलाई से चलकर आते हैं।

सोचिये मान्यवर ! आप स्वयं एक न्यायविद् हैं। इन घटनाओं के कानूनी-प्रभावों implication) को समझ सकते हैं।

क्या आप जान-सुनकर जबलपुर बार एसोसियेशन के अधिकांश सदस्य साथियों को विश्वास में लिये बिना (और वास्तव में तो उनकी इच्छाओं के विपरीत) इस संस्था म.प्र. हाईकोर्ट बार एसोसियेशन को ऐसे अपराधी-नव-धनाढ्य उद्योगपतियों के हाथ का खिलौना बनने देंगे जो कि सभ्य समाज के लिए खतरा है?

जहां तक प्रश्न अदालत की गरिमा की अवमानना का है- अदालत की अवमानना तब होती है, जब मूलचंदशाह, बी.आर.जैन,

कैलाशपति केड़िया के एजेंट माननीय मध्यप्रदेश हाई कोर्ट खंडपीठ इंदौर के माननीय जस्टिस दीपक वर्मा को रिश्वत देने का घिनौना प्रयास करते हैं- जिसका खुलासा स्वयं जस्टिस दीपक वर्मा ने 3 सितंबर 96 को भरी अदालत में किया था एवं उसी दिन छमुमो उपाध्यक्ष साथी मेघदास वैष्णव ने इंदौर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराकर दोषियों को सजा की मांगी थी। अदालत की अवमानना तब होती है जब देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जे.एस. वर्मा अदालत में खुलासा करते हैं कि भिलाई के सुरेन्द्र जैन, बी.आर.जैन, हवाला कांड की सुनवाई करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के तीनों न्यायाधीशों को प्रभावित करने का कुत्सित प्रयास किया जाता रहा है ... अवमानना तब होती है जब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, खंडपीठ इंदौर भिलाई के नव धनाढ्यों के विशेषाधिकार आग्रह पर कानून के जनादेश द्वारा 'वर्जित' (restricted) मुद्दों में जाकर उलझने पर मजबूर हो जाता है और कानून के जनादेश की 'बाध्यता' (bound) अनुसार 4200 श्रमिकों के पक्ष में हुए बहुमत के फैसले सुनाने में अक्षम हो जाता है।

जब बिना किसी स्टे-आर्डर के 4200 श्रमिकों को अंतरिम राहत देने का आदेश पालन में नहीं आता है एवं उच्च न्यायालय को 4200 श्रमिकों और उनके परिवार के जीने के अधिकार (अनुच्छेद 21, भारत का संविधान) का हनन करने के लिए बतौर औजार इस्तेमाल किया जाता है। जब इस औजार से हमारे परिवार के दो वर्षीय बालक नौहर, चार वर्षीक दीपक, बहन दुखिया बाई, साथी अलख राम और जयराम कोष्टा सहित 40 लोगों की न्यायिक हत्या हो जाती है। इस खिलवाड़ से न्यायालय की गरिमा को जो क्षति हुई है, मान्यवर उसका हिसाब लगाने में भी आपको लंबा समय लगेगा।

जहां तक जनता- जनार्दन द्वारा आलोचना के संदर्भ में गरिमा का प्रश्न है, इस पर हमारी सोच बिल्कुल साफ है। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और प्रेस को आज के लोकतंत्र के चार स्तंभ कहा जाता है। जब हमारी नजरों के सामने इन स्तंभों को दीमक चाटने लगे तो हम मूकदर्शक बनकर तो देखते नहीं रह सकते? नहीं! यह हमारा लोकतांत्रिक दायित्व है कि समय-समय पर इन स्तंभों पर लगने वाली दीमक को साफ करे। यह जनादेश न केवल आज की परिस्थितिओं में उपजी वोहरा-कमेटी रिपोर्ट का है, बल्कि हमारे स्वतंत्र-संग्राम और लोकतंत्र के युग पुरुषों का है। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चटर्जी कहते हैं - - - -

"जिस कानून से केवल दुर्बल दंडित हो, जो बलवान पर लागू ही न हो पाए वह कानून है कैसा? जिस अदालत का बल केवल दुर्बल पर चलता है, बलवान पर नहीं, वह अदालत, अदालत क्यों कर है? शासन-पक्ष अंग्रेज क्या इसकी कोई ठीक व्यवस्था नहीं कर सकते?.... कानून, अदालत, कृषकों को पीड़ित करने के लिए धनवानों के हाथ में एक और औज़ार भर है।" (उनके लेख 'बंगदेश का कृषक" का अंश)

शहीद - आजम भगत सिंह ने अदालत में अपनी ऐतिहासिक बहस के दौरान कहा था-

"हमें कानून के नाम पर न्याय की हानि की सब व्यवस्थाओं को बदल डालना है। हर युग के महापुरुषों ने ऐसा ही किया है।"

मान्यवर! इन जनादेशों की रोशनी में ही मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसियेशन के मित्रों को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के न्यायग्रह और भिलाई के माफिया नव धनाढ्यों के खूंखार विशेषाधिकार आग्रह के मध्य किसी एक को चुनना है। पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ शहीद हुए युवा कवि अवतार सिंह 'पाश' के शब्दों में - 'बीच का कोई रास्ता नहीं होता।"

"समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र
जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध"। - राष्ट्र कवि दिनकर

भवदीय

अनूप सिंह
सचिव,
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा

अनेक्सर-२

AIR 1972 SC 975, H.P. Administration Vs Om Prakash

". . . . . The benefit of doubt to which the accused in entitled is reasobale doubt - the onscientiously entertain and not the doubt of timid mind which fights shy - though unwittingly it may be - or is afraid of the logical consequences, if that benefit was not given or as one great Judge said it is "not the doubt of a vacillating mind that has not the moral courage to decide but shelters itself in a vain and idle scepticism". It does not mean that the evidence must be so strong as to exclude even a remote possibility that the accused could not have committed the offence. If that were so the law would fail to protect society as in no case can such a possibility be excluded. It will give room for fanciful conjectures or untenable doubts and will result in deflecting the course of justice if not thwarting it altogether . . . . . .

. . . . . The mere fact that there is only a remote possibility in favour of the accused is itself sufficient to establish the case beyond reasonable doubt....."